प्रबन्ध निदेशक शिविर
में प्राप्ति की तिथि. 26-9-17

संख्या-50 /2017/18आ0/23-[illegible])/2017

17010

प्रेषक,

राजीव शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ दिनांक 25 सितम्बर 2017

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में जैतपुर कैली मार्ग पर आमी नदी पर ग्राम गाडर एवं शाहिदाबाद के मध्य सेतु, पहुंच मार्ग अतिरिक्त पहुंच मार्ग तथा सुरक्षात्मक निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-648/नदी सेतु/गोरखपुर क्षेत्र/सेतु-3/2017/सेतु-6 दिनांक 04.08.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद गोरखपुर में जैतपुर कैली मार्ग पर आमी नदी पर ग्राम गाडर एवं शाहिदाबाद के मध्य सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग तथा सुरक्षात्मक निर्माण कार्य हेतु** विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1593.16 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ तिरानबे लाख सोलह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	जनपद/ कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन	कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5
1-	**जनपद गोरखपुर में जैतपुर-कैली मार्ग पर आमी नदी पर ग्राम गाडर एवं शाहिदाबाद के मध्य सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग तथा सुरक्षात्मक निर्माण कार्य हेतु**	1593.16	250.00	**सेतु निगम**
	योग-	1593.16	250.00	

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

MD-4440
26-9-17

सं.प्र.नि. (नि0/परि0)
प्र0 प्र0 (नियोजन/गोरखपुर)/कैम्प

Bhattacharya

प्र0 नि0
26-9-17

पत्र प्राप्ति का दिनांक 26-9-17
डायरी सं0 2652 दिनांक 27/9/17
महाप्रबन्धक (क्षे0) गोरखपुर
संप्रे0 नि0 (नियोजन / परिकल्पना)

क्रमशः............

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) सेन्टेज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत /आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही कार्यदायी संस्था को भुगतान की जायेगी ।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु रू0 427.79 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। अतः भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा अपने उत्तरदायित्व पर किया जायेगा ।

(9) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(10) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन मे प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- सेतु एवं पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग आदि की लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बगैर नहीं किया जायेगा । इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर विभागाध्यक्ष द्वारा 03 माह के अंदर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेग।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(13) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिये स्वीकृति जारी की जायेगी ।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना(सामान्य) के अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-0403-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण-24-वृहत् निर्माण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई0-8-1156/दस-2017, दिनांक 25 सितम्बर 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- 50/2017/18आ0(1)/23-10-17-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त गोरखपुर /जिलाधिकारी, गोरखपुर ।
3- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
9- वेब अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/गार्ड फाइल।
10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
11- निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी।

आज्ञा से,

(बी0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।